राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 2/78/2020/एस–1/पार्ट–फा0/207 **दिनांकः 30.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है;

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं;

और जबकि, दिनांक 31.05.2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन के विस्तार के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं. 40–3/2020–डीएम–I (ए), दिनांक 17.05.2020 के अनुपालन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं. 176, दिनांक 18.05.2020 जारी किए है;

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अ.स. पत्र सं. 40–3ध्2020–डीएम–I (ए), दिनांक 21.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन में विभिन्न स्थानों पर उल्लंघन की रिपोर्टें मिली हैं, अतः सभी प्राधिकरण इन दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राधिकरणों द्वारा इन्हें सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाना सुनिश्चित करें, साथ ही अ. स. पत्र में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार करें;

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी संबंधित प्राधिकरणों को निमनानुसार निदेश दिए जाते हैं :

1. कन्टेनमेंट जोन की उचित रूपरेखा तैयार की जाए और इन जोन में कन्टेनमेंट उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, जो कोविड–19 के फैलने को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है. इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और कन्टेनमेंट जोन का उचित निर्धारण किया जाना चाहिए।

2. कन्टेनमेंट जोन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संलग्न आदेश सं. 176, दिनांक 18.05.2020 के दिशा–निर्देशों के खंड–4 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि कोई उल्लंघन दिखाई दे तो तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन बनाए जाते हैं, बड़ी संख्या पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं। सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिए जाते हैं कि कोविड–19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए वे निर्धारित एसओपी के अनुसार कन्टेनमेंट जोन बनाना सुनिश्चित करें, अर्थात् विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पॉजिटिव मरीज बड़ी संख्या में पाए गए हों। इस संबंध में प्रतिदिन सायं 6.00 बजे तक मंडल आयुक्त के समक्ष दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त उक्त जानकारी को समेकित करके तत्संबंधी रिपोर्ट स.मु.सचिव (गृह) और मुख्य सचिव (दिल्ली) को भिजवाएंगे।

4. रात्रि कर्फ्यू अथवा सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक समस्त गैर–अनिवार्य गतिविधियों का निषेध सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का एक महत्वपूर्ण पहलू है. रात्रि कर्फ्यू यह सुनिश्चित करने के नजरिये से दिए गए हैं कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तथा संक्रमण के फैलने के जोखिम को कम किया जा सके. तदनुसार, सभी जिलाधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारी अर्थात् दिल्ली पुलिस उपायुक्त, कानूनी प्रावधानों के तहत, अपने कार्यक्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू लगाने के लिए आदेश जारी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता हो।

5. कोविड–19 के प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय निदेशों का पूरा दिल्ली में कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा. फेस कवर करके रखना, कार्यस्थलों पर, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड–19 के संक्रमण के फैलने से रोकने तथा लोगों और समाज की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन निदेशों में शामिल है. सभी जिलाधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारी अर्थात् दिल्ली पुलिस उपायुक्त राष्ट्रीय निदेशों को उचित रूप में लागू कराएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्थानीयों/दिल्ली पुलिस के सभी विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा दिल्ली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समस्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्तरों पर उनका कड़ा अनुपालन किया जाता हो।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
5. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।